न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्याः– 332/2020 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00300)

1. दिनेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी– प्लाट न. ई 63–64, झोटवाडा, हाल –ग्राम विथवाडी, तहसील – चौमूं जिला– जयपुर ।

––अपीलाट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला–जयपुर।
2. रामबाबू पुत्र श्रवणकुमार जाति ब्रहाम्ण, निवासी चीथवाडी मोड, तहसील चौमू जिला जयपुर।

––रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री शन्तनु गुप्ता एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री अमित दुसाद एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

दिनांकः–23.07.2024

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेंट संख्या–2 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.1.2013 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की अपीलाटं बिना भू–रूपान्तरण करवाये ग्राम चीथवाडी मोड स्थित भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 0.64 हैक्टेयर कृषि भूमि का आज दिवस तक कोई भू परिवर्तन नही किया हुआ है जिसमें अपीलाटं राहूल मावा व पनीर उद्योग के नाम से कृषि भूमि पर अवैध निर्माण कर भट्टी स्थापित कर रखी है विवादित आराजी पर खुदाई अवैध निर्माण करने पर रोकने गया तो अपीलाटं ने जान से मारने की धमकी देने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्माण कार्य को तुरन्त रोकने का पेश करने व पटवारी हल्का को तुरन्त कार्यवाही हेतू लिखा गया। पटवारी हल्का की हस्ब रिपोर्ट पर दर्ज प्रकरण पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 7.6.2013 को अपीलाटं के विरूद्व निर्णय दिया गया उससे व्यथित होकर अपीलाटं द्वारा प्रथम अपील जिलाधीश तृतीय के समक्ष प्रस्तुत कि गई लेकिन न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर तृतीय द्वारा निर्णय दिनांक 24.8.2016 को अपीलान्ट की अपील को सही तथ्यों रिकार्ड व न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विपरित जाकर अपील को खारिज फरमा दिया गया जो निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि हल्का पटवारी ने अपनी विवादित रिपोर्ट में कही भी स्पष्ट नही किया कि अपीलाटं ने कितने हैक्टेयर भूमि पर निर्माण कर रखा है व निर्माण कितना पुराना है, निर्माण अगर मौके पर हो रहा है, किस बाबत् हो

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रहा है, बिना तथ्यात्मक मौके का निरीक्षण किये ही हल्का पटवारी ने मनमानी रूप से तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू ने अपने निहित क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग कर निर्णय 07.06.2013 पारित किया है जो अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष निरस्तनीय ही था। उन्होने आगे कथन किया है कि शिकायतकर्ता का अपीलार्थी की उक्त आराजीयात् में न तो कोई हक, हिस्सा निहित है, ना ही वह सहखातेदार है, ओर ना ही उसका किसी विधिक अधिकार का हनन हुआ है उसके बावजूद शिकयतकर्ता, तहसीलदार व हल्का पटवारी ने आपस में साजकर राजकीय अवकाश के दिन प्रार्थना पत्र प्राप्त कर तुरन्त हल्का पटवारी को लिखना तथा हल्का पटवारी द्वारा बिना मौके व तथ्यों की जाचं किये बनावटी रूप से फर्द मौका व रिपोर्ट प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय दिनांक 07.06.2013 पारित किया गया है जो निरस्तनीय था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को बिना समझे व प्रकरण का बिना कोई परीक्षण किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2016 पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 0.64 हैक्टेयर में अपीलाटं का हिस्सा 1/24 निहित है तथा प्रत्येक खातेदार काश्तकार को कृषि व कृषि से जुड़े पशुपालन डेयरी एवं अन्य उत्पादो के निमार्ण, भण्डारण व रख रखाव, उपयोग उपभोग हेतू खातेदार काश्तकार को अपनी आराजी भूमि पर विधिक अधिकार प्राप्त होने के कारण किसी प्रकार की अनुमति की कानूनन आवश्यकता नही होती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त आराजी के सम्बध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन वाद द्वारा यथास्थिति के आदेश व तकासमा नही होने के कारण भू परिवर्तन नही होने के कारण अनुमति लिया जाना आवश्यक नही होता है जिस कारण अपीलाट द्वारा अपनी हिस्सा जो कि उक्त आराजी कृषि भूमि तकासमाशुद्वा प्राप्त नही होने के कारण भू–परिवर्तन कराया जाना सम्भव नही था तथा अपीलाटं भू–परिवर्तन कराने को हमेशा तत्पर एवं तैयार रहा है तथा भूमि को केवल अपने जीवकोपार्जन के लिये पशुपालन कर डेयरी का संचालन कर रखा है जो कार्य भी कृषि से सम्बधित है किन्तु उक्त तथ्यों को नजरअदांज कर अधीनस्थ न्यायालय व अपीलय न्यायालय ने निर्णय पारित किये गये जो कानूनन भूल कारित कर निर्णय दिये गये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2016 एवं तहसीलदार चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2013 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने भूमि का 1/6 हिस्सा खरीद कर सम्पूर्ण भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बना ली है तथा कृषि भूमि का अकृषि कार्य हेतु बिना रूपान्तरण करवाये ही मावा की दुकान बनाकर उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही कर अकृषि कार्य किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार के समक्ष एक लिखित शिकायत पेश करने पर उक्त शिकायत की जॉच करवाई गई एवं शिकायत सही पाये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के तहत दर्ज कर एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही विधि सम्मत निर्णय दिनांक 07.06.2013 पारित किया है। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय

संभागीय आयुक्त

द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उभयपक्ष को पूर्ण सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.08.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी आराजी का सक्षम प्राधिकृत अधिकारी से बिना भू रूपान्तरण कराये ही अवैध रूप से अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर उक्त शिकायत की जॉच करवाने पर अपीलार्थी द्वारा क्रयशुदा कृषि भूमि पर एक मावा कारखाना, राहुल धर्मकांटा, तथा चार पक्के कमरे बने हुए पाये जाने पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार चौंमू द्वारा दर्ज कर एवं उभयपक्ष की सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2013 पारित किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा भी उभयपक्ष की सुनवाई बाद विधि सम्मत मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 24.08.2016 द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज किया गया है, जो निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के तथा उक्त कृषि भूमि का बिना भू रूपान्तरण कराये ही अकृषि कार्य, वाणिज्यक कार्य में उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है तथा उनके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकारों के विपरित जाकर कार्य किया जा रहा है जो कानूनन विधि सम्मत नही है। साथ ही चूँकि अपीलार्थी द्वारा उन्हे काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्राप्त खातेदारी अधिकारों को उल्लंघन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विरूद्ध काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही की जानी भी न्यायोचित होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2016 एवं तहसीलदार चौमू द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2013 को यथावत रखा जाता है एवं तहसीलदार चौंमू को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्राप्त खातेदारी अधिकारों को उल्लंघन किये जाने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही अविलम्ब की जाकर भूमि विवादग्रस्त को कब्जे राज लिये जाने की विधि सम्मत कार्यवाही की जावें।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।